

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 291] No. 291] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 13, 2009/माघ 24, 1930

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 13, 2009/MAGHA 24, 1930

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 13 फरवरी, 2009

का.आ. 473(अ).—केन्द्रीय सरकार, शर्करा (नियंत्रण) आदेश, 1966 के खंड 4 के साथ पछित आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (3घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संख्या का. आ. 1310(अ), तारीख 31 जुलाई, 2007 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड-3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

- 2. उक्त अधिसूचना में, खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :---
- " (क) निर्वात पात्र प्रक्रिया द्वारा चीनी के उत्पादक या वाणिज्यिक आयातकर्ता-निर्यातकर्ता से, खुली साधारण अनुज्ञप्ति या 'टन-दर-टन' आधार पर अग्रिम प्राधिकार स्कीम या चीनी का निर्यात अनुज्ञात करने वाली किसी अन्य स्कीम के अधीन चीनी के निर्यात हेतु मुख्य निदेशक (शर्करा), शर्करा निदेशालय या मुख्य निदेशक (शर्करा) द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी से निर्यात निर्मोचन आदेश अभिप्राप्त करने की अपेक्षा की जाएगी।

स्पष्टीकरण: जहां चीनी का कोई उत्पादक या वाणिज्यिक आयातकर्ता-निर्याकर्ता अग्रिम प्राधिकार स्कीम के अधीन कच्ची चीनी का आयात करता है और 'अनाज-दर-अनाज' नीति के अधीन अपनी निर्यात बाध्यता को पूरा करने के लिए प्रसंस्कृत सफेद या परिष्कृत चीनी का निर्यात करता है, वहां ऐसा चीनी के उत्पादक या वाणिज्यिक आयातकर्ता -निर्यातकर्ता से मुख्य निदेशक (शर्करा), शर्करा निदेशालय से निर्यात निर्मोचन आदेश अभिप्राप्त करने की अपेक्षा नहीं होगी।"

[फा. सं. 3(10)/2007-एस.पी.-1]

एन. सान्याल, संयुक्त सचिव

टिप्पणी :---मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खण्ड 3 उप-खण्ड (ii) में का.आ. संख्या 1310(अ) दिनांक 31 जुलाई, 2007 द्वारा प्रकाशित की गई थी जिसमें संख्या का.आ. 2483(अ), तारीख 20 अक्तूबर, 2008 और संख्या का.आ. 2709(अ), तारीख 21 नवम्बर 2008 द्वारा पश्चात्वर्ती संशोधन किए गए थे।

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Food and Public Distribution)

ORDER

New Delhi, the 13th February, 2009

- S.O. 473(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3D) of Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 read with clause 4 of the Sugar (Control), Order 1966, the Central Government, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Consumer Affairs, Department of Food and Public Distribution, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide No.S.O. 1310 (E), dated the 31st July, 2007, namely:—
- 2. In the said notification for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:—
- "(a) a producer of sugar by vacuum pan prosess or a merchant importer-exporter shall be required to obtain an export release order from the Chief Director (Sugar), Directorate of sugar or any other officer authorised by the Chief Director (Sugar), for export of sugar whether under Open General Licence or Advance Authorization Scheme on 'ton-to-ton' basis or any other scheme permitting export of sugar.

Explanation: Where a producer of sugar or a merchant importer-exporter imports raw sugar under advance Authorization Scheme and exports processed white or refined sugar for fulfillment of his export obligation under 'grain-to grain' policy, such producer of sugar or merchant importer-exporter shall not be required to obtain an export release order from the Chief Director (Sugar), Directorate of Sugar."

[F. No. 3(10)/2007-SP-I]

N. SANYAL, Jt. Secy.

Note:— The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Subsection (ii), *vide* No. S.O. 1310 (E) dated the 31st July, 2007, which was subsequently amended *vide* number S.O. 2483 (E) dated the 20th October, 2008 and S.O. 2709 (E) dated the 21st November, 2008.